



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 पौष 1942 (श0)
(सं0 पटना 56) पटना, मंगलवार, 19 जनवरी 2021

IE 08@vkjki&01&47@2016&340@lk0i0
l'keU; i:'kklu foHkkx

ldYi
7 tuojh 2021

श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-522/2011, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बेतिया के विरुद्ध बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०, पटना द्वारा Cr. Miss-37194/2016 (अजय प्रसाद उर्फ अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं करने तथा बिना उच्चाधिकारी के आदेश के जिला मुख्यालय से बाहर रहने संबंधी आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4334 दिनांक 12.09.2019 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर पुर्नगठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-17430 दिनांक 23.12.2019 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 07.02.2020 को विभाग में समर्पित किया गया।

विभागीय पत्रांक 3620 दिनांक 09.03.2020 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की माँग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2419 दिनांक 14.06.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार को निगम मुख्यालय के पत्रांक 10539 दिनांक 23.08.2016 द्वारा निगम अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया, परन्तु उनके द्वारा शपथ पत्र दायर नहीं किया गया, जिसके कारण प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति देनी पड़ी, जो उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को घोटक है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-522/2011, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बेतिया को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7543 दिनांक 01.09.2020 द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में बरती गयी लापरवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के संगत प्रावधानों के तहत नियम-14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया:-

1. निन्दन (वर्ष-2016-17) तथा
2. असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से० द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है उसका जिक्र उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में पूर्व में भी किया गया था। जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पूर्व में की जा चुकी है तथा श्री कुमार को कर्तव्य में बरती गयी लापरवाही एवं उदासीनता के आरोपों के लिए दोषी पाते हुए उन्हें निंदन एवं एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित किया गया है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7543 दिनांक 01.09.2020 द्वारा संसूचित दंड को यथावत रखा जाता है।

vkn'k& vkn'k fn;k tkrk g fd bl ldyi dh ifr fcgkj jkti= d vxy v l k/kkj.k v d e:
idkf'kr fd;k tk; rFkk lHkh lcf/kr dk Hkt nh tk;A

fcgkj&jkT;iky d vkn'k l]
ek0 fl jkt lhu v l kjh]
l jdkj d voj l fpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 56-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>